न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

<u>आपराधिक प्रक0क्र0 2</u>01/2012

<u>संस्थित दिनाँक-20.04.2012</u>

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

अशोक दुबे पुत्र रामेश्वर दयाल शर्मा उम्र—40 साल निवासी— ग्राम पिपरोली, हाल यादव मोहल्ला गोहद जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियुक्त

<u>-:: निर्णय ::-</u> {आज दिनांक 10.01.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 323, 506—बी के अंतर्गत आरोप है कि अभियुक्त ने दिनांक 22.03.2012 को 8:30 बजे सुबह फरियादी के किराए के मकान के सामने यादव मौहल्ला में सार्वजनिक स्थान पर फरियादी गुड़डीबाई को मां—बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी व उपस्थित जन समूह हो क्षोभ कारित किया एवं फरियादी की मारपीट कर स्वेच्छ्या साधारण उपहित कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक फरियादी श्रीमती गुड्डीबाई किराए के मकान में यादव मुहल्ले में निवास करती थी। दिनांक 22.03.2012 को सुबह करीब 8:30 बजे वह अपने मकान पर खड़ी थी, उसके पित गांव टुकेडा सुबह 6 बजे चला गया था, तभी उसके पड़ोस में रहने वाला अभियुक्त अशोक दुबे ने फरियादी की झाड़ू पर पेशाब कर दी। जब फरियादी ने उससे कहा तो वह मादर चोद, बहन चोद की अश्लील गालियां देने लगा। मना करने पर एक थप्पड़ मारा और खींचकर पटक दिया। तब फरियादी ने अपने पित को फोन से बुला लिया तो अभियुक्त ने जान से माने की धमकी दी। उक्त आशय की रिपोर्ट से प्राथमिकी 59 / 12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया, फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।
- 3. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने

पर अभियुक्त ने उसके निर्दोष होने तथा गाड़ी किराए से न देने के कारण झूंठा फंसाए जाने का कथन किया।

- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -
 - 1. क्या दिनांक 22.03.2012 को सुबह करीब 08:30 बजे फरियादी गुड्डीबाई के मकान के सामने यादव मुहल्ला में सार्वजनिक स्थान पर उसे मां—बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व सुनने वाले जन समूह को क्षोभ कारित किया?
 - 2. क्या उक्त दिनांक, समय पर फरियादी गुड्डी को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हां तो उसकी प्रकृति?
 - 3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी गुड्डी को अभियुक्त अशोक दुबे ने उपहति कारित करने के आशय से स्वेच्छ्या मारपीट कर उसे उक्त चोटें कारित कीं?
 - 4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी गुड्डी को संत्राास कारित करने के आशय से मृत्यु कारित करने की धमकी दे कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

5. अभियोजन की ओर से गुड्डीबाई पिन बलवीर अ०सा० 1, डॉ. धीरज गुप्ता अ०सा० 2, शिवकुमार शर्मा अ०सा० 3, अवधेश यादव अ०सा० 4, एन.सी. यादव अ०सा० 5, फरियादी गुड्डीबाई पिन भूरे सिंह अ०सा० 6 का परीक्षण कराया गया, जबिक अभियुक्त की ओर से बचाव में साक्षी जयवीरसिंह यादव ब०सा० 1 का कथन कराया है।

<u>—:: विचारणीय प्रश्न कमांक 4 का निष्कर्ष ::—</u>

6. फरियादी गुड्डी अ०सा० 6 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करती है कि अभियुक्त ने उसे थप्पड मारा और पटक दिया और कहा" रिपोर्ट की तो जान से मार दूंगा"। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथित रूप से रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी अभियुक्त द्वारा दी जाने के संबंध में कथन करती है। फरियादी ने प्र०पी० 3 की प्राथमिकी उसके द्वारा लिखाए जाने का कथन करते हुए बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। उसमें यह तथ्य लेख है कि जब फरियादी ने अपने आदमी(पित) को फोन लगाया तो अभियुक्त बोला कि अगर फरियादी ने थाने में रिपोर्ट की तो उसे जान से मार दूंगा। फरियादी गुड्डी अ०सा० 6 के कथनों में उसे अभिकथित धमकी से भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो, इस संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। किसी अन्य साक्षी ने भी

फरियादी गुड्डी अ०सा० 6 का इस संबंध में समर्थन नहीं किया है कि अभिकथित रूप से फरियादी को दी गई धमकी से उसे भय अथवा क्षोभ कारित हुआ हो।

7. संहिता की धारा 506 भाग—2 के अपराध प्रमाणित किए जाने हेतु अभिलेख पर स्पष्ट रूप से यह तथ्य प्रमाणित होना चाहिए कि फरियादी को अभियुक्त की ओर से दी गई कथित धमकी भय अथवा संत्रास कारित करने के आशय से दी गई है तथा ऐसी धमकी से फरियादी को संत्रास कारित हुआ है। उपरोक्त तथ्यों को प्रमाणित किए जाने हेतु अभिसाक्ष्य तथा फरियादी के आचरण के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना संभव होता है। फरियादी गुड़डी अ०सा० 6 के कथन में उसे अभियुक्त द्वारा रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में कथन अवश्य किया गया है, किंतु अभिकथित धमकी से भय अथवा संत्रास होने का कोई कथन नहीं किया गया है। जहां तक फरियादी के आचरण का प्रश्न है तो प्र0पी० 3 की प्राथमिकी में घटनास्थल थाने से 2 किमी० की दूरी पर लेख किया गया है और प्राथमिकी लेख कराए जाने में विलंब का कारण घर से पैदल आने का लिखाया गया है, जबकि फरियादी अपने अभिसाक्ष्य में पित के आ जाने पर रिपोर्ट करना बताती है। ऐसी दशा में उसके आचरण से भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभिकथित धमकी से उसे भय या संत्रास कारित हुआ है। न्यायदृष्टात—रोशनलाल वि० म०प्र० राज्य 1968 एम पी एल जे 172 में माननीय न्यायालय ने यह अभिव्यक्त किया कि धारा 506बी के अपराध के प्रमाण हेतु आहत /पीडित व्यक्ति के द्वारा उसे भय अथवा संत्रास्त कारित होने का तथ्य अभिलेख पर होना चाहिए। अतः संहिता की धारा 506 भाग—2 का अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

_-:: विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निष्कर्ष ::-

8. प्रकरण में फिरियादी गुड्डी अ०सा० 6 यह कथन करती हैं कि घटना मार्च 2012 की सुबह 8 बजे की है। वे बलवीर यादव के मकान में किराए से रहती थीं। छत पर झाडू लगा कर आई थीं। अभियुक्त अशोक दुबे ने उनकी झाडू पर पेशाब कर दी थी। जब उसे कहा ऐसा क्यों किया तो अभियुक्त ने उसे मादरचोद, बहन की लंड की गाली दी थीं, तब फिरियादी ने कहा कि ऐसी गाली उसे क्यों देते हो। साक्षी इसके पश्चात् अभियुक्त द्वारा मारपीट करने व धमकी देने के संबंध में कथन करती है। घटना के संबंध में प्र0पी० 3 की रिपोर्ट लिखाए जाने का कथन करते हुए उस पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करती है। प्र0पी० 3 के प्राथमिकी में घटना के साक्षी अ०सा० 1 गुड्डी तथा अवधेश अ०सा० 4 लेख हैं। गुड्डी अ०सा० 1 यह कथन करती हैं कि उनके पास दो मकान हैं, जिन में एक में वह स्वयं रहती हैं, दूसरे मकान में अभियुक्त अशोक व फरियादी गुड्डी तोमर किराए से रहती थीं, किंतु उनके मध्य क्या झगड़ा हुआ इसके संबंध में कोई भी जानकारी होने से इन्कार करती हैं। अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन के मामले का कोई भी समर्थन नहीं करती और पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर कोई समर्थन नहीं करती हैं। अवधेश

अ0सा0 4 भी उनके समक्ष कोई भी घटना होने से इन्कार करते हैं। सूचक प्रश्नों में यह भी अभियोजन के सुझाव से इन्कार करते हैं।

9. शिव कुमार शर्मा अ०सा० 3 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 22.03.2012 को वे थाना गोहद में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को फरियादी गुड्डी के द्वारा मारपीट, गाली—गलौंच व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में उन्होंने अभियुक्त अशोक के विरुद्ध प्राथमिकी लेख की थी। फरियादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पेशाब करने की बात से" मादरचोद, बहन की लंड" की गंदी—गंदी गालियां देने के संबंध में कथन किया गया है। फरियादी की रिपोर्ट प्र०पी० 3 में भी गंदी—गंदी गालियां दिए जाने का उल्लेख किया गया है। गंदी—गंदी गालियां दिए जाने और अभियुक्त से ऐसा कहे जाने कि गाली क्यों देते हो, पित को बताने का कथन करती है। इस प्रकार से साक्षी के अभिकथित रूप से गंदी—गंदी गाली दिए जाने के तथ्य से वह पित को बताने के संबंध में कथन किए जाने से उसके क्षोम होने के संबंध में सारवान पुष्टि होती है। नक्शामौका प्र०पी० 5 को साक्षी अपने हस्ताक्षर बताकर प्रमाणित करते है। एन०सी० यादव अ०सा० 5 नक्शामौका प्र०पी० 5 के संबंध में पुष्टि करते हैं। ऐसे में नक्शामौका में भी घटना स्थल गली/रास्ता के किनारे लेख है, जो कि सार्वजनिक स्थान के रूप में स्पष्ट है। इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी गुड्डी को क्षोभ कारित किए जाने के संबंध में तथ्य प्रमाणित पाया जाता है।

-:: विचारणीय प्रश्न कमांक 2 का निष्कर्ष ::-

- 10. फरियादी गुड्डीबाई अ०सा० 6 यह कथन करती है कि जब उसने गाली देने से अभियुक्त को मना किया तो अभियुक्त ने उसे एक थप्पड़ मारा और पटक दिया । यह भी कथन करती है कि पुलिस ने उसकी डॉक्टरी कराई थी। उसे सिर तथा होठ में चोट मौजूद होने का कथन करती है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका 2 में 3 चोटें होने का कथन करती है। साक्षी इसी कंडिका में यह कथन करती है कि वह गोहद अस्पताल करीब 01 बजे आई थी और वह अस्पताल में भर्ती नहीं रही। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी गुड्डी अ०सा० 1 व अवधेश अ०सा० 4 घटना का समर्थन नहीं करते हैं। डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि दिनांक 22.03.2012 को वे सीएचसी गोहद में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आरक्षक 76 नीरज द्वारा लाए जाने पर उन्होंने आहत् गुड्डी पत्नी भूरे का परीक्षण कर निम्न चोटें पाई थीं।
 - 1. खरोंच जो कि वांयीं आंख के भीं के बाहर की ओर आकार 3 गुणा 1 सेमी0 था।
 - खरोच जो कि बायीं साईड चेहरे पर होठों की कोण से 2 सेमी. पीछे थी, जिसका आकार 2 गुणा 5 सेमी. था।

उक्त चोटें कड़ी एवं भौंथरी वस्तु से आना प्रतीत होना व परीक्षण की अवधि से 12 घण्टे के भीतर की साधारण प्रकृति के होने के संबंध में कथन करते हैं। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 2 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

प्रकरण में डॉ. धीरज गुप्ता द्वारा फरियादी गुड्डी को चेहरे में दो खरोंच होने के संबंध में 11. कथन किया गया है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 2 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन दस्तावेज के सुसंगत होने तथा अधिनियम की धारा 114 ड के अधीन उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किये जाने से संदेह का कोई युक्तियुक्त आधारा मौजूद नहीं होने के कारण प्र0पी० 2 के दस्तावेज का सम्यक निष्पादित किए जाने के संबंध में उपधारणा किए जाने का न्यायोचित आधार पाया जाता है। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट प्र0पी0 3 में घटना दिनांक 22.03.2012 के सुबह करीब 08:30 बजे बताया है और चिकित्सीय परीक्षण प्र0पी0 2 की रिपोर्ट के अनुसार दोपहर 03:30 बजे उसी दिनांक को किया जाना दर्शित है। चिकित्सक की राय के अनुसार फरियादी की चोट 12 घण्टे के भीतर की अर्थात उसी दिनांक की सुसंगत समय पर कारित होने के संबंध में पुष्टि करती है। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से भी फरियादी को शरीर पर कोई चोट मौजूद नहीं थी, ऐसा तथ्य अभिलेख पर दर्शित नहीं किया गया है। चिकित्सक से प्रतिपरीक्षण में फरियादी गुड्डीबाई को आई चोट सीढ़ियों से गिर कर कारित होने का सुझाव दिया है, जबिक स्वयं फरियादी गुड्डीबाई अ०सा० ६ को इस प्रकार का कोई सुझाव नहीं दिया है। फरियादी के कथन, प्राथमिकी प्र0पी0 5, प्राथमिकी लेखक के कथन तथा चिकित्सक डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० २ के कथन व चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० २ के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित होता है कि फरियादी गुड्डीबाई को अभिकथित घटना दिनांक 22.03.2012 को शरीर के हिस्से चेहरे पर दो खरोंच के रूप में चोटें मौजूद थीं। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या फरियादी को आईं उक्त चोटें अभियुक्त द्वारा उपहति कारित करने के आशय से उसे स्वेच्छ्या पहुंचाई गईं ?

-:: विचारणीय प्रश्न कमांक 3 का निष्कर्ष ::-

12. फरियादी गुड्डी अ०सा० 6 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करती है कि जब उसने अभियुक्त को गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसे थप्पड़ मारा और पटक दिया, जिसके फलस्वरूप उसे चोट कारित होने के संबंध में कथन करती है। अर्थात् अभियुक्त के स्वेच्छिक कृत्य के रूप में फरियादी को उपहित कारित होने के संबंध में कथन किया गया है। फरियादी ने उसके सिर वह होट पर चोट आने के संबंध में अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि जिसकी अभिपुष्टि चिकित्सक डॉ. धीरज गुप्ता अ०सा० 2 द्वारा की गई है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में रिपोर्ट लिखाने उसके साथ चाचा पत्रकार, दो भाई और पित के साथ में जाने का कथन करती है। उसके प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई

सारवान विरोधाभाषी या संदिग्ध बात प्रकट नहीं हुई है, जिससे कि फरियादी के कथन पर अविश्वास किए जाने का कोई भी युक्तियुक्त आधार प्रकट होता हो। यद्यपि प्रवपीव 3 में उल्लेखित चक्षुदर्शी साक्षी गुड्डी अवसाव 1 व अवधेश अवसाव 4 के द्वारा फरियादी के कथनों का समर्थन नहीं किया है, किन्तु पक्षद्रोही साक्षी की साक्ष्य का केवल इतना भाग जो कि अभियोजन का समर्थन करता हो, स्वीकार किया जा सकता है एवं स्वयं साक्षी के पक्षद्रोही हो जाने से अभियोजन के मामले पर उस साक्षी की साक्ष्य का कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी दशा में उक्त साक्षियों द्वारा फरियादी के कथनों की अभिपुष्टि नहीं किए जाने से फरियादी गुड्डी अवसाव 6 के कथनों पर स्वतः ही संदेह किए जाने का कोई आधार नहीं होता है। न्यायदृष्टांत खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरूद्ध मवप्रव राज्य एवआईवआर0—1991 एसवसी0—1853 में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत अवलोकनीय हैं।

- 13. प्रकरण में अभियोजन की और से दण्ड प्रिकिया संहिता की धारा 313 के परीक्षण में यह साक्ष्य दिया गया है कि वह वाहन चालक है और गाड़ी किराए पर नहीं दी इसिलए उसे झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में अभिकिथित रूप से अभियुक्त की ओर से फिरियादी को ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि वाहन किराए पर देने से इन्कार करने के कारण उसे असत्य रूप से लिप्त किया गया है, बिल्क फिरियादी गुड़डी अ0साо 6 को प्रतिपरीक्षण की कंडिका 2 में यह सुझाव दिया गया कि" आरोपी ने अपने उधारी के पैसे मांगे थे, मेरे (फिरियादी) मना करने पर मैंने (फिरियादी ने) आरोपी के खिलाफ झूंठा केस लगा दिया" दिया गया है। उक्त सुझाव से फिरियादी ने मना किया है। अभियुक्त की ओर से न तो अभिकिथित रूप से उधारी कितनी थी, किसके समक्ष दी गई, कब दी गई, किसे दी गई, इस संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है और स्वयं ही अभियुक्त की ओर से फिरियादी को उसके विरुद्ध रिपोर्ट करने का भिन्न और अपने परीक्षण में भिन्न सुझाव दिया है। ऐसी दशा में अभियुक्त का बचाव कल्पना आधारित दिर्शित होता है, जबिक फिरियादी को आई चोटों व उनके संबंध में किए गए कथन साक्ष्य से प्रमाणित है।
- 14. अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना स्थल पर स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी व आसपास लोगों के मकान होने से किसी के द्वारा समर्थन नहीं किया जाना अभियोजन के मामले को संदिग्ध करती है। इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 134 के अधीन साक्षियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात् किसी तथ्य को प्रमाणित करने हेतु कितने साक्षी होने चाहिए, यह कोई न्यायबद्ध तथ्य नहीं है। प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों पर निर्भर है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत—संदीप कुमार सैन विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य 2016 ए०आई०आर० एस०सी०डब्ल्यू० 310 की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक मात्र चक्षुदर्शी साक्षी की अपुष्ट साक्ष्य भी यदि विश्वास योग्य पाई जाती है तो उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

- जहां तक फरियादी गुड्डी अ०सा० 6 के कथन का संबंध है तो यह भी स्वस्थापित है कि 15. आहत साक्षी के अभिसाक्ष्य को अन्य साक्षियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। इस संबंध में न्यायदृष्टांत- Bhajan Singh @ Harbhajan Singh & Ors. Vs. State Of Haryana (2011) 7 SCC 421 : AIR 2011 SC 2552 की ओर भी आकर्षित होता है जिसमें मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है- "Para32. The evidence of the stamped witness must be given due weightage as his presence on the place of occurrence cannot be doubted. His statement is generally considered to be very reliable and it is unlikely that he has spared the actual assailant in order to falsely implicate someone else. The testimony of an injured witness has its own relevancy and efficacy as he has sustained injuries at the time and place of occurrence and this lends support to his testimony that he was present at the time of occurrence. Thus, the testimony of an injured witness is accorded a special status in law. Such a witness comes with a built-in guarantee of his presence at the scene of the crime and is unlikely to spare his actual assailant(s) in order to falsely implicate someone. "Convincing evidence is required to discredit an injured witness". Thus, the evidence of an injured witness should be relied upon unless there are grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein. (Vide: Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259; Kailas & Ors. v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 793; Durbal v. State of Uttar Pradesh, (2011) 2 SCC 676; and State of U.P. v. Naresh & Ors., (2011) 4 SCC 324)." अवलोकनीय है। इस प्रकार से फरियादी गुड्डी अ0सा0 6 के अभिसाक्ष्य में अविश्वास किए जाने का आधार नहीं पाया जाता है।
- 16. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से बचाव साक्षी जयवीर सिंह यादव व0सा0 1 को प्रस्तुत किया गया, जो यह अभिसाक्ष्य देते हैं कि फरियादी व अभियुक्त जिस मकान में रहते थे, उससे एक—दो मकान छोड़कर वह रहता है और उसके सामने कोई घटना नहीं हुई। साक्षी को अभियुक्त की ओर से स्वयं लाकर प्रस्तुत किया गया है। साक्षी जयवीर सिंह व0सा0 1 अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 2 में स्वीकार करते हैं कि जब वह घर से चला जाता है और लौटकर आता है उस समय घर में क्या हुआ उसकी जानकारी घर में बताए जाने के आधार पर पता चलती है। इस प्रकार से साक्षी इसी कंडिका में यह कथन करता है कि मुहल्ले में किसी के साथ कोई बात होती है तो उसे बताने नहीं आते, बिल्क सुनने को मिल जाती है। ऐसे में इस साक्षी के समक्ष घटना घटित न होने से फरियादी के कथनों पर विश्वास किए जाने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं हो जाता है। अभियुक्त की ओर से गाड़ी किराए पर न देने से झूढा फंसाए जाने का कथन किया है, जबिक इस संबंध में न तो बचाव

साक्षी द्वारा कथन किया गया है और न ही फरियादी को ऐसा कोई सुझाव दिया गया है। ऐसी दशा में बचाव साक्षी की साक्ष्य का अभियोजन के मामले पर कोई सारवार विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

- 17. अतः उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अभियोजन इस तथ्य को प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि फरियादी गुड़डी पत्नी भूरे सिंह को अभियुक्त द्वारा दिनांक 22.03.2012 को सुबह 08:30 बजे थप्पड़ मारकर व पटक कर उसे स्वेच्छ्या उपहित कारित की। अतः अभियुक्त के विरूद्ध संहिता की धारा 323, 294 का मामला प्रमाणित पाया जाता है।
- 18. अभियुक्त की जमानती मुचलके भार मुक्त किए जाते हैं। उसे अभिरक्षा में लिया जावे।
- 19. अभियुक्त के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्ववान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थिगत किया जाता है।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

पुनश्च:

- 20. अभियुक्त एवं उनके विद्ववान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के वाहन चालक होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दिण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।
- 21. अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं किन्तु साथ ही उसकी परिपक्व आयु एवं आहत / फरियादी को सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर स्वेच्छा मारपीट कर उपहित कारित करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। फरियादी को प्रमाणित चोटें सतही प्रकृति की साधारण प्रकृति की आना प्रमाणित हुई हैं तथा अभियुक्त लगभग चार वर्ष की अविध से विचारण का सामना कर रहा है और अभिरक्षा में भी रहा है। ऐसे में अभियुक्त को कठोरतम दण्ड से दिण्डत न करते हुए शिक्षाप्रद दण्ड दिया जाना उचित पाया जाता है। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 294 के अधीन न्यायालय उठने तक की अविध के कारावास एवं पांचसौ रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 323 के अधीन न्यायालय उठने तक की अविध के कारावास एवं पांचसौ रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 323 के अधीन न्यायालय उठने तक की अविध के कारावास एवं पांचसौ रूपये अर्थदण्ड के संदाय में व्यितिकम की दशा में अभियुक्त को कमशः 7 दिवस व 15 का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 22. अभियुक्त से अर्थदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी/आहत गुड्डीबाई पत्नी भूरेसिंह तोमर निवासी यादव मौहल्ला गोहद को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप

में दप्रस की धारा 357—1 ख के अधीन 500/—रूपये (पांचसौ रूपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।

STILL STATE OF STATE

- 23. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।
- 24. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।
- 25. अभियुक्त की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दप्रसं0 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश